पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चम्पावत

UTTARAKHAND

☎ & Fax No. 05965&230034

E-Mail : eechampawat@rediffmail.com E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :– 1501/12 सी0 दिनांक :– 11/11/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन सरंक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद चम्पावत में मंच–बकोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.9208हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– आपका पत्रॉक 980/PF/UK/Road/12159/2015 वन दि0 10 अक्टूवर 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में जनपद चम्पावत में मंच–बकोडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.9208 हे0 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल हरतोला सिविल–15.00 हे0 उपलब्ध कराया गया था, जो कि मार्ग में प्रभावित होने वाली आरक्षित वन भूमि–3.920हे0 सिविल–1.365 वन पंचायत–2.100 हे0 कुल–7.385 हे0के आधार पर वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन किये गये थे,तत्कालीन समय में मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल में लिये जाने वावत कोई जानकारी उपलब्ध नही थी, जो कि वन भूमि प्रस्ताव उक्तानुसार ऑनलाईन कर दिये गये थे वाद में आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव विड्राल कर पुनः उसमें मलवा निस्तारण स्थल को जोडा गया जिस कारण पूर्व में प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल कम हो गया साथ ही वन संरक्षक अल्मोड़ा के EDS के दि022–3–2016 में 15 हे0 के स्थान पर 15.8416हे0 की आपत्ति प्राप्त हुई,राजस्व विभाग द्वारा 3 मार्गो हेतु संयुक्त रूप से जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपलब्ध कराया गया था उसमें बसौटी–रौकुँवर मार्ग भी था,जिसके 10.00 हे0 में DSS जॉचोपरान्त 1हे0 घना वन तथा 4.00हे0मध्यम वन कुल–5.00 हे0वृक्ष होने के कारण आपत्तियों में प्राप्त हुआ था जिससे स्थल एकमुश्त (एक साथ) होने एवं मलवा निस्तारण योजना प्रस्ताव में सम्मिलित करने उपरान्त पर्याप्त स्थल न होने तथा स्थल में वृक्ष होने के कारण राजस्व विभाग से वृक्ष विहीन पर्याप्त क्षतिपूरक स्थल उपलब्ध कराने वावत लगातार पत्राचार किया जाता रहा ताकि मार्ग में लगी आपत्तियो का निराकरण किया जा सके जो कि जनपद चम्पावत में वृक्ष विहीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपलब्ध न होने के कारण समय पर आपत्तियों का निराकरण नही हो पाया,उक्त स्थिति को मध्य नजर रखते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग चम्पावत के पत्रॉक–520/12–1दि0 14–8–2018द्वारा अवनत वन भूमि डुगराबाकूॅ में 70.00 हे0 उपलब्ध कराने पश्चात स्थल के मानचित आदि प्राप्त करते हुए वन भूमि प्रस्ताव में लगी आपत्तियों का निराकरण कर पाना सम्भव हुआ।उक्त से सम्बन्धित पत्रों की छाया प्रतियॉ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है,खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र दि0 7–8–2019 का विन्दुवार निराकरण निम्नवत किया गया हैः–

विन्दु सं0–1–भारत सरकार के EDS में विलम्ब का कारण उक्त वृक्ष विहीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की अनुपलब्धता रही हो जो कि अवनत वन भूमि उपलब्ध होने उपरान्त दि0–14–10–2018 को निराकरण कर पाना सम्भव हुआ।

विन्दु सं0–2– एन0पी0वी0का प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निर्धारित की पुनः आनलाईन करते हुए हार्ड प्रति 3–3 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रॉक–1517/2सी0दि0 4–10–2018द्वारा पूर्व में ही आपको प्रेषित कर दी गई है।

विन्दु सं0–3 मार्ग में प्रभावित होने वाली संशोधित वृक्षों की सूची आनलाईन करते हुए हार्ड प्रति 3–3 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रॉक–1517/2सी0दि0 4–10–2018द्वारा पूर्व में ही आपको प्रेषित कर दी गई है।

विन्दु सं0–4 ग्राम–मंच एवं स्यूतोला एक ही ग्रामसभा होने का ग्राम प्रधान का प्रमाण–पत्र आनलाईन करते हुए हार्ड प्रति 3–3 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रॉक–1290 / 2सी0दि0 19–9–2019द्वारा पूर्व में ही आपको प्रेषित कर दी गई है।

विन्दु सं0–1 ग्राम मंच,स्यूतोला,एवं वकोड़ा मार्ग की के0एम0एल0में लाभान्वित होने वाले ग्राम पूर्व से ही डिजिटल मानचित्र में अकित है जो कि मूल प्रस्ताव के 1.4 में चस्पा किया गया है।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि विन्दु सं–2,3,4,5 उपरोक्तानुसार 3–3 प्रति में हार्ड प्रतियॉ आपको पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई है,विन्दु सं0 1 से संबंधित प्रपत्र पुनः संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है अनुरोध है कि प्रस्ताव को अग्रसारित करने की कृपा करें

भवदीय,

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
चम्पावत।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि.0वि0
चम्पावत।